Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **पूरणमल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **113** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। वकील प्रार्थी प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना–पत्र करना चाहते है। इस पर हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 061/2019 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम पूरणमल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 19.11.2019 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थीगण प्राप्त करना चाहता है, अतः उक्त मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने निवेदन किया गया है कि प्रार्थी कम्पनी मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चिंतन–मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 061/2019 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम पूरणमल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 19.11.2019 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 6406248/– अक्षरे चौसठ लाख छ हजार दौ सो अडतालीस रूपये मात्र में से मूल प्रार्थना–पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से अनुसार निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करना चाहती है। आराजीयात जैरबहस के संबंध में अप्रार्थी संख्या 01 का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 24.08.2023 दायर किया जाकर निर्णित किया गया है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान क्रमशः कमला पुत्री पूरणमल एवं विजय पुत्र पूरणमल आराजीयात जैरबहस के वर्तमान खातेदार	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज रेकार्ड है, एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी कंपनी निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तैयार एवं तत्पर है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 061/2019 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम पूरणमल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 19.11.2019 अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि में से अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान को मुआवजा राशि का भुगतान दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रार्थी कंपनी की और से प्रस्तुत चैक संख्या 018777 तादादी रूपये 9,15,178/– अक्षरे नौ लाख पन्द्रह हजार एक सौ अठत्तर रूपये मात्र का जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ के नाम पर जारी किया गया है का चैक प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 061/2019 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम पूरणमल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 19.11.2019 की पालना में प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान हेतु अप्रार्थी से सहमति प्राप्त होजाने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 04.12.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	